तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/01/2021	~~पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 9/02/2021 को पेश हो।~~ सहवन से दर्ज हो गया।
9/2/2021	~~पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तुवा होकर दिनांक 25/2/2021 को पेश हो।~~
19/01/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बावड़ी अप्रार्थी से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 29/01/2021 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी
29/01/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी तहसीलदार बावड़ी से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम लवेरा कलां के खसरा नं० ~~[illegible]~~ 1242, 960/4, 960/1 एवं 960/2 कुल खसरान चार प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम ~~[illegible]~~ नाथू सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह दर्ज है जबकि नाथू सिंह [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:37:24 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
		ग्राम लवेरा कलां में नहीं है। लिपिकीय त्रुटि से नाथू सिंह दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह है तथा समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का यही नाम दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में नाम सुधार कर नाथूसिंह के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र कल्याण सिंह इन्द्राज करवाने का आदेश दिलावें। **आदेश** पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त मौका जाँच रिपोर्ट अनुसार ग्राम लवेरा कलां के खसरा सं. 1252, 960/5, 960/1 एवं 960/2 कुल खसरा न चार में प्रार्थी का नाम शुद्ध कर नाथूसिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह शुद्धकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार बावड़ी को दिया जाता है। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका जाँच रिपोर्ट इस आदेश का अंग रहेगी। खसरा संख्या 960/1 एवं 960/[illegible] है। तहसीलदार बावड़ी को [illegible] हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले न्यायालय में मजमे आम सुनाया गया। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.12.16 12:37:24 IST
Reason: SelfAttested